

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर

चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103000282011

दांडिक प्रकरण क.-201/2011

संस्थापित दिनांक 30.05.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>	
विरुद्ध	
01-जमुनालाल पुत्र चिरोंजीलाल लोधी आयु 46 वर्ष निवासी ग्राम लिधोरा <div>.....आरोपी.....</div>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी..... द्वारा	:- श्री गौरव जैन अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 354,294,323 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी कमलेश ने दिनांक 26.05.2011 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 26.05.11 को 16:00 बजे वह अपने पंप से पानी भरकर आई तो आरोपी जमुनालाल बुरी बुरी गालिया दे रहा था मना करने पर उसने फरियादी को पकड़ लिया तथा उसे काट खाया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी जमुनालाल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 165/11 के अंतर्गत भादवि की धारा 323,354,294 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 294,354 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया जिसमें आरोपी ने झूठा फसाया जाना व्यक्त किया गया। आरोपी की ओर से कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 26.05.11 के ग्राम लिधोरा में फरियादी को अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया ?
2. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपी ने फरियादिया जो कि एक स्त्री है उसकी छाती दबाकर उसका ब्लाउस फाड़कर आपराधिक वल का प्रयोग कर लज्जा भंग की ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक

01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 कमलेश बाई, अ0सा02 करनसिंह, अ0सा03 भोगीराम एवं अ0सा04 एम पी मौर्य की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 कमलेश बाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह पानी लेने गई थी तब आरोपी गालिया दे रहा था जब उसने मना किया तो आरोपी ने उसके ब्लाउस में हाथ डालना चाहा। अ0सा01 के अनुसार आरोपी ने उसकी पीठ व हाथ में काट खाया था जिसकी रिपोर्ट उसने थाने में की थी। उक्त साक्षी अनुसार उसने प्र0पी03 की रिपोर्ट लेख कराई थी तथा पुलिस ने नक्सा मौका प्र0पी01 तैयार किया था। अ0सा02 करनसिंह ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को वह अपने घर पर था और चबुतरे पर बैठा था तब आरोपी गाली गलोच कर रहा था। उक्त साक्षी के अनुसार जमुनालाल ने उसे भी गालिया दी थी तथा उसे बिना किसी कारण के गालिया दी थी। अ0सा03 भोगीराम ने अपने कथन में बताया है कि फरियादिया उसकी पत्नी है तथा आरोपी को वह जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपी उसकी पत्नी को गालिया दे रहा था। यद्यपि उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसकी पत्नी ने उसे बताया था कि आरोपी ने बुरी नियत से उसे पकड़ा था।

08— अ0सा04 एम पी मौर्य ने अपने कथन में बताया है कि उसने फरियादी की निशादेही पर प्रकरण में नक्सा मौका प्र0पी01 तैयार किया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसने कथन में साक्षीगण के कथन लेख किये थे तथा आरोपी को गिरफ्तार किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने प्रकरण में साक्षीगण के कथन लेख वद्ध नहीं किये तथा इस बात से भी इंकार किया है कि उसने प्रकरण में आरोपीगण को झूठा फंसाया है।

09— अभियोजन द्वारा अभिलेख पर उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। अ0सा01 ने स्पष्टरूप से अपने कथनों में बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा गाली गलोच की गई साथ ही बुरी नियत से उसे पकड़ा गया। उल्लेखनीय

है कि उक्त साक्षी की साक्ष्य का अनुसर्मथन अ0सा02 एवं 03 ने अपने कथनों में किया है। उक्त साक्षी ने अपने कथनों में बताया है कि आरोपी द्वारा फरियादी के साथ गाली गलोच की गई तथा फरियादी को बुरी नियत से पकड़ा। उल्लेखनीय है कि फरियादी एवं साक्षीगण के कथनों में ऐसा कोई प्रमुख विरोधाभास नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा मामले में झूठी कार्यवाही की गई है। फरियादी की साक्ष्य अखण्डनीय रही है तथा फरियादी की साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी के साथ गाली गलोच की गई एवं बुरी नियत से उसका ब्लाउस फाड़कर आपराधिक वल का प्रयोग कर लज्जा भंग की गई।

10— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपी जमनालाल को भादवि की धारा 294,354, के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

11— आरोपी पूर्व से न्यायिक अभिरक्षा में है। आरोपी एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

#### पुनश्च:-

12— आरोपी जमुनालाल के विद्वान अधिवक्ता श्री अंशुल श्रीवास्तव का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपी का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़

दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध आरोपी द्वारा कारित किया गया है जो कि एक महिला के विरुद्ध है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

13— जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा महिला के विरुद्ध अपराध कारित किया जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को भा.द.वि. की धारा 294, के अपराध में 15 दिवस के साधारण कारावास एवं 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 03 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। आरोपी को भा.द.वि. की धारा 354 के अपराध में 01 वर्ष के साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा उक्त दोनों दंडादेश एक साथ भुगताए जाएंगे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

14— आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

15— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

16— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

17— आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत मेरे बोलने पर टंकित किया गया।  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)